



अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

के नियंत्राधीन

नवनियुक्त प्रखंड अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण
पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

(बैच—70वीं BPSC)

स्थान— बिपार्ड, पटना

दिनांक—17.10.2026

नवीन कुमार
जिला कल्याण पदाधिकारी

अनु० जाति और अनु० जनजाति समुदाय
के लोगों के संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण
पर केस स्टडीज़

- ❑ SC/ST समुदायों के संवैधानिक अधिकारों और संरक्षण संबंधी प्रावधानों को समझना।
- ❑ अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की प्रमुख व्यवस्थाओं का अध्ययन करना।
- ❑ बिहार के प्रमुख न्यायिक मामलों का विश्लेषण करना।
- ❑ पीड़ितों को न्याय, राहत, पुनर्वास एवं कानूनी सहायता मिलने की प्रक्रिया समझना।
- ❑ कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

- ❑ बिहार में जाति आधारित असमानता, भूमि एवं संसाधनों तक पहुँच, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान से जुड़े निम्न मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं—
- ❑ जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार।
- ❑ भूमि, मजदूरी एवं आजीविका से जुड़े विवाद।
- ❑ शिक्षा तथा सरकारी योजनाओं तक पहुँच में बाधाएँ।
- ❑ हिंसा के मामलों में निष्पक्ष जाँच, गवाहों की सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया की चुनौतियाँ।

संविधान में प्रमुख सुरक्षा प्रावधान

- ❑ अनुच्छेद 14:— कानून के समक्ष समानता ।
- ❑ अनुच्छेद 15:— जाति सहित निर्दिष्ट आधारों पर भेदभाव का निषेध; अनुच्छेद 15(4) एवं 15(5) में विशेष प्रावधानों का आधार ।
- ❑ अनुच्छेद 16:— सरकारी रोजगार में अवसर की समानता; निर्धारित शर्तों के अधीन आरक्षण ।
- ❑ अनुच्छेद 17:— अस्पृश्यता का उन्मूलन ।
- ❑ अनुच्छेद 21:— जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ।

संविधान में प्रमुख सुरक्षा प्रावधान

- ❑ अनुच्छेद 46:— SC/ST सहित कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और सामाजिक अन्याय से रक्षा करना ।
- ❑ अनुच्छेद 330 एवं 332:— लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आरक्षित सीटों का प्रावधान ।
- ❑ अनुच्छेद 338:— राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
- ❑ 338A:— राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ।

- ❑ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 अस्पृश्यता से संबंधित निषिद्ध व्यवहारों के विरुद्ध कानूनी संरक्षण।
- ❑ SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अधिनियम में परिभाषित अत्याचारों की रोकथाम और दंड का प्रावधान।
- ❑ SC/ST अत्याचार निवारण नियम, 1995 राहत, पुनर्वास, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के क्रियान्वयन के लिए विस्तृत व्यवस्थाएँ।

प्रमुख कानूनी संरक्षण

- ❑ निःशुल्क कानूनी सहायता पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से सहायता उपलब्ध हो सकती है।
- ❑ बिहार सरकार की कल्याण योजनाएँ छात्रावास, शैक्षिक सहायता, सिविल सेवा प्रोत्साहन तथा अत्याचार पीड़ितों के लिए राहत संबंधी व्यवस्थाएँ।

केस स्टडी-01-बथानी टोला नरसंहार

- ❑ स्थान:— भोजपुर जिला, बिहार
- ❑ तिथि:— 11 जुलाई 1996

❑ घटना का संदर्भ:—

बथानी टोला में हिंसक हमले में दलित समुदाय के 21 लोगों की मृत्यु हुई।

मामला बिहार में जाति आधारित हिंसा और ग्रामीण सामाजिक संघर्ष के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

- ❑ निचली अदालत ने 2010 में कई आरोपियों को दोषी ठहराया।
पटना उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2012 में संबंधित दोषसिद्धियाँ रद्द कर दीं और आरोपियों को संदेह का लाभ दिया।
- ❑ उच्च न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्यों और जाँच की गंभीर कमियों पर चिंता व्यक्त की।
- ❑ इसके बाद उच्चतम न्यायालय में अपीलें स्वीकार किए जाने की रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई।
- ❑ *कानूनी सीख गंभीर अपराधों में प्रभावी जाँच, विश्वसनीय साक्ष्य, गवाहों की सुरक्षा और सक्षम अभियोजन न्याय सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं।*

संवैधानिक प्रश्न

- ❑ जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ।
- ❑ समानता और सामाजिक न्याय की व्यावहारिक उपलब्धता ।
- ❑ पीड़ित परिवारों के लिए प्रभावी न्यायिक उपचार ।
- ❑ प्रमुख संस्थागत चुनौतियाँ

प्रमुख संस्थागत चुनौतियाँ

- ❑ घटना और प्राथमिकी दर्ज करने के बीच देरी से संबंधित प्रश्न।
- ❑ गवाहों के बयानों और पहचान संबंधी साक्ष्यों की विश्वसनीयता।
- ❑ जाँच तथा अभियोजन की गुणवत्ता।
- ❑ न्यायिक प्रक्रिया में लंबा समय लगना।

❑ केवल कठोर कानून बना देना पर्याप्त नहीं है। निष्पक्ष जाँच, साक्ष्य संरक्षण, सक्षम अभियोजन और पीड़ितों के प्रति संवेदनशील व्यवस्था भी आवश्यक है।

❑ ध्यान दें:— बरी किए जाने का अर्थ यह है कि संबंधित अभियुक्तों के विरुद्ध दोषसिद्धि कायम नहीं रही; इसे बिना अतिरिक्त साक्ष्य किसी व्यक्ति की कानूनी दोषिता का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

केस स्टडी-02-लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार 1997

- स्थान:— लक्ष्मणपुर बाथे, तत्कालीन जहानाबाद (वर्तमान अरवल) जिला क्षेत्र, बिहार
- तिथि:— 1 दिसंबर 1997

घटना

- हमले में 58 दलितों की हत्या हुई।
- यह घटना बिहार में जाति आधारित सामूहिक हिंसा के सबसे गंभीर मामलों में गिनी जाती है।

न्यायिक घटनाक्रम

- ❑ निचली अदालत ने 2010 में 26 आरोपियों को दोषी ठहराया।
- ❑ अक्टूबर 2013 में पटना उच्च न्यायालय ने साक्ष्यों की अपर्याप्तता के आधार पर सभी 26 की दोषसिद्धियाँ रद्द कर दीं।

कानूनी महत्त्व

- ❑ अभियोजन के साक्ष्य और गवाहों की विश्वसनीयता निर्णायक होती है।
- ❑ गंभीर आरोपों में भी दोषसिद्धि कानूनी मानकों के अनुसार ही हो सकती है।
- ❑ पीड़ित परिवारों को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी, कानूनी सहायता और उपलब्ध राहत तक पहुँच मिलनी चाहिए।

- ❑ चरण 1: शिकायत दर्ज कराना—संबंधित पुलिस थाने में घटना की सूचना दें। मामले के तथ्यों के अनुसार SC/ST अधिनियम तथा अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
- ❑ चरण 2: जाँच और साक्ष्य लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार जाँच, दस्तावेज़ीकरण, गवाहों के बयान तथा अन्य साक्ष्य सुरक्षित किए जाएँ।
- ❑ चरण 3: राहत एवं सुरक्षा पात्रता और लागू नियमों के अनुसार राहत, पुनर्वास तथा सुरक्षा संबंधी सहायता के लिए संपर्क करें।

- ❑ प्राथमिकी और जाँच की गुणवत्ता में असमानता।
- ❑ गवाहों की सुरक्षा तथा दबावमुक्त बयान सुनिश्चित करना।
- ❑ मामलों के निस्तारण में देरी।
- ❑ कानूनी अधिकारों और राहत योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी।
- ❑ मुआवजा एवं पुनर्वास की समयबद्ध निगरानी।
- ❑ ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों में कानूनी सहायता तक पहुँच।
- ❑ प्रशासनिक जवाबदेही तथा विभागों के बीच समन्वय।
- ❑ *विश्लेषण:— किसी जिले में अधिक मामले दर्ज होना अपने-आप में अधिक अपराध या बेहतर रिपोर्टिंग का निर्णायक प्रमाण नहीं है। दर्ज मामलों, जाँच, आरोपपत्र, न्यायिक परिणाम और पीड़ित सहायता को साथ देखकर निष्कर्ष निकालना चाहिए।*

- ❑ अत्याचार के मामलों की समयबद्ध और निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित की जाए।
- ❑ गवाहों एवं पीड़ित परिवारों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
- ❑ विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों की कार्यक्षमता की नियमित समीक्षा हो।
- ❑ पात्र पीड़ितों को नियमानुसार राहत एवं पुनर्वास समय पर मिले।
- ❑ पंचायत और प्रखंड स्तर पर कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित हों।
- ❑ SC/ST आयोगों, पुलिस, जिला प्रशासन और विधिक सेवा प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़े।
- ❑ सार्वजनिक रिपोर्टिंग में FIR से लेकर अंतिम न्यायिक परिणाम तक की स्थिति स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो।
- ❑ शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेशन से जुड़ी योजनाओं की पहुँच का मूल्यांकन किया जाए।

- ❑ SC/ST समुदायों का संरक्षण भारतीय संविधान के समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय के मूल्यों पर आधारित है।
- ❑ बिहार की केस स्टडी से तीन प्रमुख निष्कर्ष सामने आते हैं:—
 - (क) कानूनी संरक्षण:— संविधान और विशेष कानून अधिकारों की सुरक्षा के लिए आधार प्रदान करते हैं।
 - (ख) प्रभावी क्रियान्वयन:— निष्पक्ष जाँच, विश्वसनीय साक्ष्य, सक्षम अभियोजन और समयबद्ध राहत अत्यंत आवश्यक हैं।
 - (ग) संस्थागत जवाबदेही: पीड़ितों तक न्याय और पुनर्वास पहुँचाने के लिए प्रशासनिक निगरानी तथा सामाजिक जागरूकता जरूरी है।
- ❑ अंत में:— सामाजिक न्याय तभी प्रभावी होगा जब संवैधानिक अधिकार व्यवहार में सुरक्षा, समान अवसर और गरिमापूर्ण जीवन में परिवर्तित हों।

धन्यवाद